न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम कानाराम पुत्र सुजाराम जाट वगैरह निवासी कुचामनसिटी

प्रा.पत्र नम्बर 192/2021 **GCMS No.2021/242**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.12.2021	वकील अप्रार्थी मोहम्मद युसुफ की ओर से श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता के द्वारा वकालतनामा एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खारिया पटवार मण्डल खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 399 में अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि उपयोग में ही लिया जा रहा है मौके पर किसी प्रकार अकृषि उपयोग में नही लिया गया है तथा उक्त कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार सक्षम अधिकारी के यहॉ संपरिवर्तन/90 ए के तहत दर्ज कराकर ही उपयोग में लिया जावेगा जिसके लिए अप्रार्थीगण ने शपथ–पत्र में कथनकिया है तथा शपथ–पत्र में भी उक्त तथ्य अंकित किये है। अप्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि में ऋण बंटवारा इत्यादि एवं कृषि सुधार कराना चाहता है जिसके स्थगन होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपन–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के खारिज की जाती है कि अप्रार्थी शीघ्र ही अपनी उपरोक्त खसरा की भूमि को अकृषि प्रयोग में लिये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ से रूपान्तरित करवा ले। प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधा[illegible]त अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2022.02.01 12:53:05 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	